

61

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर

क्रमांक : प.39/1()राज/हस्ता0/2012/

दिनांक: 13 / 3 / 2015

—: आदेश :—

उदयपुर-हिम्मतनगर-अहमदाबाद के मध्य प्रस्तावित अमान परिवर्तन प्रस्तावित होकर उक्त कार्य हेतु वन विभाग की 34.4380 है० वन भूमि प्रभावित हो रही है। वन विभाग को उक्त भूमि के बदले अन्य भूमि ग्राम करगेट तहसील गिर्वा की बिलानाम आराजी नम्बर 2589 मी. रकबा 25.2475 है० एवं 2591 मी. रकबा 14.5650 है० मे से 9. 1905 है० कुल कित्ता 2 रकबा 34.4380 है० भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-92 के तहत वन विभाग के लिये आरक्षित की जाकर वन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के आदेश एतद्वारा प्रदान किये जाते है।

N. 4923.27
13.3.15

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

प्रतिलिपि :-

1. उप खण्ड अधिकारी, गिर्वा।
2. उप वन संरक्षक (उत्तर), उदयपुर
3. उप मुख्य इंजीनियर (नि.) उ-प. रेल्वे, उदयपुर को सूचनार्थ।
4. तहसीलदार, गिर्वा को भेज लेख है कि उक्त आदेशानुसार हस्तान्तरित भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर पालना से इस कार्यालय को शीघ्र अवगत करावें।
5. रक्षित पत्रावली।


जिला कलक्टर,
उदयपुर

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर

क्रमांक :प.39/1()राज/हस्ता0/2012/ ५४७-५७१

दिनांक: 2७ /5 /2017

—: आदेश :—

उदयपुर-हिम्मतनगर-अहमदाबाद के मध्य प्रस्तावित अमान परिवर्तन प्रस्तावित होकर उक्त कार्य हेतु वन विभाग की कुल 35.7823 हे० भूमि प्रभावित हो रही है। वन विभाग को उक्त भूमि के बदले इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4923--27 दिनांक 13.03.2015 के द्वारा 34.4380 हे० भूमि प्रत्यावर्तन हेतु वन विभाग को आरक्षित कर गई है। रेल्वे के पत्रांक 474459014 दिनांक 28.04.2017 के क्रम में शेष आवश्यक 1.3443 हे० भूमि के बदले पूर्व में दी गई भूमि के साथ लगती हुई भूमि ग्राम करगेट तहसील गिर्वा की किस्म पहाड बिलानाम गैर काबिल काश्त आराजी नम्बर 2591 मी. रकबा 2.7245 हे० में से 1.3443 हे० भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-92 के तहत वन विभाग के लिये आरक्षित की जाकर वन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के आदेश एतद्वारा प्रदान किये जाते हैं।


(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

प्रतिलिपि :-

1. उप खण्ड अधिकारी, गिर्वा।
2. उप वन संरक्षक (उत्तर), उदयपुर
3. उप मुख्य इंजीनियर (नि.) प्रथम उ-प. रेल्वे, उदयपुर को सूचनार्थ।
4. तहसीलदार, गिर्वा को भेज लेख है कि उक्त आदेशानुसार हस्तान्तरित भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर पालना से इस कार्यालय को शीघ्र अवगत करावें।
5. रक्षित पत्रावली।


अति० जिला कलक्टर,
उदयपुर